



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072021-228478
CG-DL-E-27072021-228478

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2732]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 26, 2021/श्रावण 4, 1943

No. 2732]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 26, 2021/SRAVANA 4, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2021

का.आ. 2938(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 764 (अ). तारीख 18 फरवरी, 2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के अमेठी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 330ए के कि. मी. 17.742 से कि. मी. 35.400 (तिलोई) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/4-लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 28 फरवरी, 2021 को "हिन्दुस्तान" और "टाईम्स आफ इण्डिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को

अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतःअब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के अमेठी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 330ए के कि.मी. 17.742 से कि.मी. 35.400 (तिलोई) तक के भू-खण्ड (रायबरेली से जगदीशपुर खण्ड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमिका संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: अमेठी		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: तिलोई				
	गांव का नाम: भेलाई कला				
1	155	सरकारी	आबादी	0.022	सरकार (155)
2	288	निजी	कृषि	0.0135	रामखेलावन, रामनरायन पुत्रगण लोधे नि0 ग्राम, धर्मराज, धर्मपाल, सन्तराम पुत्रगण हनोमान नि0 ग्राम, पार्वती पत्नी स्व0 हनोमान नि0 ग्राम, अमरनाथ पुत्र रामनाथ नि0 पूरे राजा (288)
3	739	सरकारी	नहर	0.0015	सरकार (739)
4	740	सरकारी	आबादी	0.004	सरकार (740)
5	741	निजी	कृषि	0.0035	फयाजउल्ला, करीमउल्ला, रहीमउल्ला, सदामउल्ला पुत्रगण हश्मतउल्ला नि0 मोहल्ला चकभीखमपुर छोटा छोसियाना, रायबरेली, हसीना बेगम पत्नी स्व0

					हश्मतउल्ला नि० मोहल्ला चकभीखमपुर छोटा छोसियाना, रायबरेली, आबिद अली पुत्र स्व० जाहिद अली नि० मोहनगंज, शमसुननिशां पत्नी स्व० जाहिद अली नि० मोहनगंज, साजिद अली पुत्र वाजिद अली। (741)
6	748	निजी	कृषि	0.0035	भवानीनरायन पुत्र हरदयाल नि० ग्राम (748)
7	749	सरकारी	आबादी	0.0035	सरकार (749)
8	750	सरकारी	आबादी	0.008	सरकार (750)
9	751	सरकारी	आबादी	0.0035	सरकार (751)
10	805	सरकारी	नविन परती	0.009	सरकार (805)
	गांव का नाम: मेढौना				
11	622	निजी	कृषि	0.013	छोटेलाल पुत्र नकछेद नि० ग्राम (622)
12	623	अन्य	मतरूक	0.007	मतरूक (623)
13	624	सरकारी	उसर	0.0031	सरकार (624)
14	625	निजी	कृषि	0.007	अनिल कुमार सिंह, उदयभान सिंह पुत्रगण देवीबक्श सिंह व श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी स्व० देवीबक्श सिंह नि० ग्राम, संजय सिंह, सुशील कुमार सिंह, इन्द्र कुमार सिंह, राजकुमार सिंह पुत्रगण जगत बहादुर सिंह नि० ग्राम, भगौतीदीन सिंह पुत्र रामकृपाल सिंह नि० ग्राम, त्रिभुवन सिंह पुत्र बद्री सिंह नि० ग्राम, रामदीन सिंह पुत्र शीतलाबक्श सिंह नि० ग्राम, इन्द्रदेव सिंह पुत्र शिवसागर सिंह नि० बहादुरगंज, लल्लन सिंह, सन्तोष

					कुमार सिंह, मनोज कुमार सिंह पुत्रगण हरिनरायन सिंह नि० ग्राम, संजय सिंह, सुशील कुमार सिंह, इन्द्र कुमार सिंह, राजकुमार सिंह पुत्रगण जगतबहादुर सिंह नि० ग्राम, गंगाबक्श सिंह पुत्र नागेश्वर सिंह नि० ग्राम (625)
15	626	निजी	कृषि	0.005	रामलाल, रामकिशोर पुत्रगण छेगू नि० ग्राम, श्रीमती मीरा देवी पत्नी उमेश कुमार नि० उत्तरगांव (626)
16	627	निजी	कृषि	0.0015	सिद्धेश्वरी देवी पत्नी दिनेश सिंह नि० ग्राम (627)
17	628	निजी	कृषि	0.0015	देवकला पत्नी दयाराम नि० ग्राम (628)
18	631	सरकारी	तालाब	0.004	सरकार (631)
19	634	निजी	कृषि	0.0075	सिद्धेश्वरी देवी पत्नी दिनेश सिंह नि० ग्राम (634)
20	635	अन्य	मतरूक	0.008	मतरूक (635)
			कुल	0.1296	

[फा. सं. NHAI/11013/LA/3(a)-Notif/2017/PIU-Raebareilly/3D2]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2021

S.O. 2938(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number **S.O. 764(E) dated 18th February, 2021**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 330A on the stretch of land from Km. 17.742 to Km. 35.400 in the district of Raebareilly in the state of UTTAR PRADESH;

And whereas the substance of the said notification has been published in “**Hindustan**” and “**Times of India**” both dated **28th February, 2021**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 17.742 to Km. 35.400 of National Highway No. 330A (Raebareli to Jagdishpur Section) in the state of UTTAR PRADESH

State: UTTAR PRADESH			District: Amethi		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Tiloi				
	Village: Bhelai Kala				
1	155	Government	Aabadi	0.022	Government 155
2	288	Private	Agriculture	0.0135	Ramkhelawan, Ramnarayan S/o Lodhe R/o Village, Dharmaraj, Dharmpal, Santram S/o Hanoman R/o Village, Parvati W/o Late Hanoman R/o Village, Amarnath S/o Ramnath R/o Pure Raja 288
3	739	Government	Nahar	0.0015	Government 739
4	740	Government	Aabadi	0.004	Government 740
5	741	Private	Agriculture	0.0035	Fyajulla, Kareemulla, Raheemulla, Sadyamulla S/o Hashmatulla R/o Chakbheekhampur Chhota Ghosiyana Raebareli, Haseena Begam W/o Late Hashmatulla R/o Chakbheekhampur Chhota Ghosiyana Raebareli, Aabid ali S/o Late Jahid ali R/o Mohanganj, Shamsunnisha W/o late Jahid ali R/o Mohanganj, Sajid ali S/o Vajid ali 741
6	748	Private	Agriculture	0.0035	Bhawaninarayan S/o Hardayal R/o Village 748
7	749	Government	Aabadi	0.0035	Government 749
8	750	Government	Aabadi	0.008	Government 750
9	751	Government	Aabadi	0.0035	Government 751

10	805	Government	Navin Parati	0.009	Government 805
	Village: Medhauna				
11	622	Private	Agriculture	0.013	Chhotelal S/o Nakched R/o Village 622
12	623	Common	Matrook	0.007	Matruk 623
13	624	Government	Usar	0.0031	Government 624
14	625	Private	Agriculture	0.007	Anil Kumar Singh, Udaybhan Singh S/o Devibax Singh & Smt Munni Devi W/o Lt. Devibax Singh R/o Vill, Sanjay Singh, Sushil Kumar Singh, Indra Kumar Singh, Rajkumar Singh S/o Jagat Bahadur Singh R/o Vill, Bhagautideen Singh S/o Ramkripal Singh R/o Vill, Tribhuvan Singh S/o Badri Singh R/o Vill, Ramdin Singh S/o Shitalabax Singh R/o Vill, Indradev Singh S/o Shivsagar Singh R/o Bahadurganj, Lallan Singh, Santosh Kumar Singh, Manoj Kumar Singh S/o Harinarayan Singh R/o Vill, Sanjay Singh, Sushil Kumar Singh, Indra Kumar Singh, Rajkumar Singh S/o Jagatbahadur Singh R/o Vill, Gangabax Singh S/o Nageswar Singh R/o Vill 625
15	626	Private	Agriculture	0.005	Ramlal, Ramkishor S/o Chhengu R/o Vill, Smt, Meera Devi W/o Umesh Kumar R/o Uttargaon 626
16	627	Private	Agriculture	0.0015	Siddheswari Devi W/o Dinesh Singh R/o Vill 627
17	628	Private	Agriculture	0.0015	Devkala W/o Dayaram R/o Vill 628
18	631	Government	Talab	0.004	Government 631
19	634	Private	Agriculture	0.0075	Siddheswari Devi W/o Dinesh Singh R/o Vill 634
20	635	Common	Matrook	0.008	Matrook 635
			TOTAL	0.1296	

[F. No. NHAI/11013/LA/3(a)-Notif/2017/PIU-Raebareilly/3D2]

RAJESH GUPTA, Director